माननीय न्यायालय □□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□,

□□.□□.

सुरिंदर शर्मा, — □□□□□□□□□□□

□□□□

□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□, □□□□□□□ □□□□, □□□□□□□, — □□□□□□□□□

C.W.P. □. 2003 □□ 12923 / □□

18 □□□□□, 2008

भारत का संविधान, 1950 — अनुच्छेद 226 — सेसेवा से बर्खास्तगी- याचिकाकर्ता के खिलाफ फर्जी प्रमाण पत्र पेश करके सेवा में आने के आरोप-याचिकाकर्ता ने परीक्षा के लिए आवेदन करते समय खुद को स्नातक के रूप में गलत तरीके से दिखाया-तथ्यों का गलत प्रतिनिधित्व-याचिकाकर्ता को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने वाला अनुशासनात्मक प्राधिकरण लेकिन सजा का आदेश पारित नहीं किया गया-याचिकाकर्ता सक्षम अनुशासनात्मक प्राधिकरण के समक्ष अपील करने से इनकार कर रहा है और प्रस्तुत सामग्री के आधार पर अंतिम निर्णय लेने का अनुरोध कर रहा है-प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों या नियमों द्वारा स्थापित प्रक्रिया का कोई उल्लंघन नहीं-याचिकाकर्ता किसी भी नरमी के लायक नहीं है-याचिका खारिज कर दी गई।

अभिनिर्धारित किया गया कि कार्यवाहियां उस तरीके से संचालित नहीं की गई हैं जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों या नियमों द्वारा स्थापित प्रक्रिया का उल्लंघन करती है। विस्तार में दर्ज असहमति के कारणों को याचिकाकर्ता को सूचित किया गया था। याचिकाकर्ता ने अपनी टिप्पणी दी है। यद्यपि याचिकाकर्ता पूर्ववर्ती अनुशासनिक प्राधिकरण के समक्ष व्यक्तिगत सुनवाई के लिए उपस्थित हुआ, लेकिन याचिकाकर्ता ने विवादित आदेश पारित होने से पहले सक्षम अनुशासनिक प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होने से इनकार कर दिया। इसलिए, याचिकाकर्ता को कोई व्यक्तिगत सुनवाई नहीं देने के संबंध में कोई शिकायत करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

(□□□□ 11)

इसके अलावा, यह अभिनिर्धारित किया गया कि याचिकाकर्ता ने प्रत्यर्थी के साथ नियुक्ति की मांग करते समय एक नकली प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है और अपने स्नातक होने का गलत प्रतिनिधित्व किया है। एक व्यक्ति, जिसने एक नकली दस्तावेज के आधार पर लोक सेवा में प्रवेश किया है, किसी भी तरह की नरमी का

हकदार नहीं है। उन्होंने जाली प्रमाण पत्र के आधार पर सार्वजनिक पद हड़प लिया है। उन्होंने जाली दस्तावेजों के आधार पर सार्वजनिक धन का दुरुपयोग किया है।

(□□□□ 16)

याचिकाकर्ता की ओर से वकील
असीम कटारिया के साथ वरिष्ठ
अधिवक्ता सलिल सागर।

उत्तरदाताओं के लिए कोईनहीं।

हेमंत गुप्ता, □□.

(1) वर्तमान रिट याचिका में चुनौती 20 अगस्त, 2002 को विद्वान केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, चंडीगढ़ पीठ, चंडीगढ़ (संक्षेप में न्यायाधिकरण) द्वारा पारित आदेश को दी गई है, जिसमें याचिकाकर्ता द्वारा दायर मूल आवेदन को खारिज कर दिया गया था, जिसमें याचिकाकर्ता को सेवा से बर्खास्त करने की सजा को चुनौती दी गई थी।

(2) याचिकाकर्ता को, लेखा सहायक के रूप में काम करते समय, बड़ा जुर्माना लगाने के लिए कार्यवाही के लिए एक आरोप पत्र दिया गया था। उनके खिलाफ आरोप दो गुना थे। याचिकाकर्ता के खिलाफ पहला आरोप यह है कि सेवा में आने के समय, उसने कल्याण निरीक्षक के पद के लिए अपने आवेदन के साथ एक नकली बी ए भाग II मार्कशीट प्रस्तुत की है। दूसरा आरोप यह था कि वर्ष 1987,1988 और 1989 के लिए आईआरईएम परिशिष्ट-III परीक्षा के लिए आवेदन करते समय, याचिकाकर्ता ने अपनी योग्यता बीए के रूप में दिखाई है, जबकि वर्ष 1990 और 1991 के दौरान, उक्त परीक्षा के लिए आवेदन करते समय, याचिकाकर्ता ने खुद को स्नातक के रूप में दर्शाया। हालांकि, याचिकाकर्ता न तो B.A. है। न ही स्नातक और, इस प्रकार, याचिकाकर्ता ने तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया है।

(3) याचिकाकर्ता ने लगाए गए आरोपों से इनकार किया। एक जांच अधिकारी नियुक्त किया गया, जिसने अपनी रिपोर्ट दे दी है। उक्त रिपोर्ट के अनुसार, आरोप संख्या 1 साबित नहीं हुआ था, जबकि याचिकाकर्ता द्वारा खुद को स्नातक होने का झूठा प्रतिनिधित्व करने का आरोप संख्या 2 साबित हुआ था। अनुशासनात्मक प्राधिकरण ने जांच रिपोर्ट की एक प्रति याचिकाकर्ता को भेज दी। लेकिन कुछ दिनों के बाद, अनुशासनात्मक प्राधिकरण ने उनकी असहमति का नोट दर्ज किया और उसे याचिकाकर्ता को उनके द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष के लिए अपने बचाव को आमंत्रित करने के लिए भेजा। तत्कालीन अनुशासनिक प्राधिकरण श्री जी. एस. हीरा ने 14 दिसंबर, 1999 की व्यक्तिगत सुनवाई के कार्यवृत्त को

दर्ज किया (अनुलग्नक ए. 14) लेकिन,-दिनांक 6 जनवरी, 2000 के संचार के माध्यम से (अनुलग्नक ए। 17) याचिकाकर्ता द्वारा दायर मूल आवेदन के साथ, श्री अनिल सैनानी ने याचिकाकर्ता को 10 जनवरी, 2000 को व्यक्तिगत सुनवाई के लिए उनके समक्ष उपस्थित होने के लिए कहा है, जिसमें कहा गया है कि श्री जी एस हीरा द्वारा दी गई व्यक्तिगत सुनवाई गलत थी क्योंकि उन्होंने 18 नवंबर, 1999 को उप वित्तीय सलाहकार के रूप में पदभार संभाला था। याचिकाकर्ता ने दिनांक 8 जनवरी, 2000 (अनुलग्नक ए 18) को अपना जवाब प्रस्तुत किया और 10 जनवरी, 2000 को व्यक्तिगत सुनवाई के लिए अनुशासनात्मक प्राधिकरण के आह्वान को स्वीकार नहीं किया। इस तरह के जवाब की प्राप्ति के बाद, सक्षम प्राधिकारी ने 14 जनवरी, 2000 को एक आदेश (अनुलग्नक ए एल) पारित किया है, जिसमें तत्काल प्रभाव से बर्खास्तगी का दंड लगाया गया है। उक्त आदेश को अपील और पुनरीक्षण में चुनौती दी गई थी, लेकिन इसे 22 मार्च, 2000 को खारिज कर दिया गया था। पारित आदेशों के खिलाफ पीड़ित, याचिकाकर्ता ने न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र का आह्वान किया, जो असफल रहा है।

(4) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने तर्क दिया है कि याचिकाकर्ता पर लगाए गए दंड का आदेश पूरी तरह से अनुचित है क्योंकि याचिकाकर्ता को व्यक्तिगत सुनवाई श्री जी एस हीरा द्वारा दी गई थी, जो पहले उप वित्तीय सलाहकार थे, लेकिन दंड का आदेश श्री अनिल सैनानी द्वारा पारित किया गया है। इस प्रकार, यह तर्क दिया जाता है कि सजा का आदेश स्पष्ट रूप से अवैध है और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है। याचिकाकर्ता के वकील ने नागराज शिवराव कर्जागी बनाम सिंडिकेट बैंक हेड ऑफिस मणिपाल और सी एस एच ए विश्वविद्यालय बनाम बी डी गोयल पर भी भरोसा किया है (1999 की सिविल अपील संख्या 938 पर 22 मार्च, 2001 को निर्णय लिया गया).

(5) यह भी तर्क दिया जाता है कि दी गई सजा याचिकाकर्ता के खिलाफ लगाए गए कदाचार के आरोप के लिए अत्यधिक और असमान है और इसलिए, आनुपातिकता के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए, उक्त सजा किए गए अपराध के अनुरूप नहीं है। रिलायंस को डी. पी. एस. रुल्लर, क्षेत्रीय बैंक बनाम मुन्ना लाई जैन, सी. एम. डी. यूनाइटेड कमर्शियल बैंक बनाम पी. सी. कक्कड़ और भारत संघ बनाम के. जी. सोनी पर रखा गया है।

(6) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील को कुछ समय तक सुनने के बाद, हम वर्तमान रिट याचिका में कोई योग्यता नहीं पाते हैं।

(7) मूल आवेदन के साथ आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से ही पता चलता है कि श्री जी. एस. हीरा द्वारा असहमति के कारणों को सूचित किए जाने के बाद, आवेदक को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दिया गया था। इस तरह की व्यक्तिगत सुनवाई के कार्यवृत्त दिनांक 14 दिसंबर, 1999 को याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं और अनुलग्नक ए 14 के रूप में संलग्न किए गए हैं इसके अलावा, संचार अनुलग्नक ए 17 के माध्यम से अंतरिती अधिकारी ने याचिकाकर्ता को 10 जनवरी, 2000 को व्यक्तिगत सुनवाई के लिए बुलाया। याचिकाकर्ता ने अनुशासनात्मक प्राधिकरण के सामने पेश होने से इनकार कर दिया। दिनांक 8 जनवरी, 2000 (अनुलग्नक ए 18) के संचार से संबंधित उद्धरण निम्नानुसार हैं:-

> " इन परिस्थितियों में, स्पष्ट और निष्पक्ष मानसिकता वाला और विवेकपूर्ण धारणा रखने वाला कोई भी व्यक्ति इस बात से सहमत होगा कि इस मामले में जांच रिपोर्ट, सभी उद्देश्यों और वैधता के लिए, स्वीकार की जाती है और मामले में की जाने वाली एकमात्र कार्रवाई जांच

प्राधिकरण के निष्कर्षों पर अंतिम आदेश पारित करना है। कानून के तहत कोई भी अन्य कार्रवाई अत्यधिक अन्यायपूर्ण और गैरकानूनी होगी और गंभीर कानूनी निहितार्थों से भरी होगी। मैं, अपनी ओर से, इस तरह के किसी भी अवैध कार्य में एक पक्ष होने के लिए सहमत नहीं हूं और इसलिए 10 जनवरी, 2000 को व्यक्तिगत सुनवाई के लिए आपके आह्वान को स्वीकार नहीं करता हूं।तथापि, अनुशासनात्मक प्राधिकरण द्वारा किसी और स्पष्टीकरण के लिए अब भी खुला है, बशर्ते कि वह 4 अप्रैल, 1996 के अपने पत्र में निहित रेलवे बोर्ड के आदेशों को निरस्त करने वाले किसी भी आधिकारिक आदेश को प्रस्तुत कर सकता है, जैसा कि मैंने अब दोहराया है। अब आपसे अनुरोध है कि आप निष्पक्ष और निष्पक्ष मन से विषय मामले के प्रति विवेकपूर्ण दृष्टिकोण अपनाएं और आपके समक्ष प्रस्तुत सामग्री के आधार पर अंतिम आदेश पारित करें, जैसा कि कानून के शासन और प्राकृतिक न्याय के कानून में भी परिकल्पना की गई है।"

(8) उक्त संचार के बाद, सक्षम अनुशासनात्मक प्राधिकरण याचिकाकर्ता को दिए गए असहमति नोट से सहमत हो गया और उसमें की गई प्रस्तुतियों पर उचित विचार करने के बाद याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन पर भी विचार किया। यह अनुशासनिक प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित प्रभाव से अभिलिखित किया गया था -—

" व्यक्तिगत सुनवाई के लिए 25 नवंबर, 1999 के आपके अनुरोध पर डिप्टी कमिश्नर ने गलती से विचार किया था। एफए और सीएओ-I तत्कालीन अनुशासनात्मक प्राधिकरण और आपको सूचित किया,-पत्र संख्या ई-308/डीसीडब्ल्यू/ए/सीएस/डब्ल्यूए/08/98, दिनांक 30 नवंबर, 1999। 14 दिसंबर, 1999 को उप एफ. ए. और सी. ए. ओ.-I द्वारा आपको गलती से व्यक्तिगत सुनवाई की अनुमति दे दी गई थी, क्योंकि कार्यशाला लेखा अनुभाग का प्रभार मेरे द्वारा 18 नवंबर, 1999 को ग्रहण किया गया था। इसलिए, प्राकृतिक न्याय के कानूनों के अनुसरण में, गलती को ठीक करने के लिए स्वतः निर्णय लिया गया था और तदनुसार आपको सलाह दी गई थी,-पत्र संख्या ई-308/डीसीडब्ल्यू/ए/सीएस/डब्ल्यूए/08/98, दिनांक 6 जनवरी, 2000 को नीचे हस्ताक्षर किए गए व्यक्ति के समक्ष व्यक्तिगत सुनवाई के लिए खुद को पेश करने के लिए। 8 जनवरी, 2000 के अपने पत्र में आपने इसे अस्वीकार कर दिया है।"

इस तरह की टिप्पणियों को दर्ज करने के बाद, प्राधिकरण ने याचिकाकर्ता के खिलाफ लगाए गए आरोपों पर विचार किया और याचिकाकर्ता को सेवा से बर्खास्त करने का एक विस्तृत आदेश पारित किया। प्राधिकरण ने बचाव पक्ष के बयान पर विचार किया कि कल्याण निरीक्षक के पद के लिए आवेदन के साथ कोई दस्तावेज नहीं था। अनुशासनात्मक प्राधिकरण ने पाया कि याचिकाकर्ता ने कल्याण निरीक्षक के पद पर चयन के लिए आवेदन के भरे हुए प्रो फॉर्मा को बी ए भाग-II मार्कशीट के साथ डुप्लिकेट में संलग्न किया है, लेकिन यह अब रिकॉर्ड के साथ छेड़छाड़ के कारण रिकॉर्ड पर उपलब्ध नहीं है। यह पाया गया कि पीडब्लू नंबर 2 और पीडब्लू 3 ने सेवा रिकॉर्ड में स्नातक का प्रमाण पत्र देखा था और उक्त प्रमाण पत्र के आधार पर, उन्होंने सत्यापन फॉर्म के आवेदन की सामग्री को सत्यापित किया। उक्त गवाहों ने पुष्टि की है कि फाइल के कुछ सीरियल नंबर गायब थे। इस तरह के बयानों के आधार पर, यह पाया गया कि याचिकाकर्ता का स्नातक प्रमाण पत्र व्यक्तिगत फाइल में उपलब्ध था और उक्त फाइलों में क्रम संख्या गायब होने के संकेत हैं, जो संदेह से परे साबित करता है कि याचिकाकर्ता ने स्नातक का नकली प्रमाण पत्र जमा किया है और यह व्यक्तिगत फाइल में बहुत अधिक उपलब्ध था और इसे बाद के चरण में हटा दिया गया होगा।

(10) उक्त तथ्य के अलावा, अनुशासनात्मक प्राधिकरण ने वरिष्ठ लेखा अधिकारी पीडब्लू1, श्री जसविंदर चावला के बयान पर भी विचार किया। उसने अपदस्थ कर दिया है कि उसने मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत होने के बाद मार्कशीट को सत्यापित किया है। उसने अपदस्थ किया है कि अपराधी व्यक्तिगत रूप से मार्कशीट की फोटो कॉपी को सत्यापित करने के लिए उसके पास आया था। पंजाब विश्वविद्यालय से सत्यापन से पता चलता है कि उक्त प्रमाणपत्र में अनुक्रमांक आधिकारिक राजपत्र से मेल नहीं खाता है। फिर भी, नकली B.A. की प्रतिलिपि की अनुपलब्धता। प्रमाणपत्र केवल अभिलेख के साथ छेड़छाड़ की संभावना को इंगित करता है।

(11) उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हमारी राय है कि कार्यवाही उस तरीके से संचालित नहीं की गई है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों या नियमों द्वारा स्थापित प्रक्रिया का उल्लंघन है। विस्तार में दर्ज असहमति के कारणों को याचिकाकर्ता को सूचित किया गया था। याचिकाकर्ता ने अपनी टिप्पणी दी है। यद्यपि याचिकाकर्ता पूर्ववर्ती अनुशासनिक प्राधिकरण के समक्ष व्यक्तिगत सुनवाई के लिए उपस्थित हुआ, लेकिन याचिकाकर्ता ने विवादित आदेश पारित होने से पहले सक्षम अनुशासनिक प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होने से इनकार कर दिया। इसलिए, याचिकाकर्ता को कोई व्यक्तिगत सुनवाई नहीं देने के संबंध में कोई शिकायत करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

यह तर्क कि अनुशासनात्मक प्राधिकरण को पूरे तथ्यों पर स्वयं विचार करना है, विवाद में नहीं है। हालांकि पहले के अनुशासनात्मक प्राधिकरण ने याचिकाकर्ता को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दिया है, लेकिन इस तरह की व्यक्तिगत सुनवाई के बाद सजा का आदेश पारित नहीं किया गया है। सक्षम अनुशासनात्मक प्राधिकरण ने याचिकाकर्ता को व्यक्तिगत सुनवाई के लिए भी बुलाया है। याचिकाकर्ता ने इस तरह की व्यक्तिगत सुनवाई का लाभ उठाने से इनकार कर दिया है। वास्तव में, याचिकाकर्ता ने स्वयं अनुशासनात्मक प्राधिकरण से अपने समक्ष प्रस्तुत सामग्री के आधार पर अंतिम निर्णय लेने का अनुरोध किया है। अनुशासनात्मक प्राधिकरण ने जांच अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य, जांच अधिकारी की रिपोर्ट और असहमति नोट के आधार पर एक आदेश पारित किया है। इसलिए, हम यह नहीं पाते हैं कि प्रक्रिया या प्राकृतिक न्याय के नियमों का कोई उल्लंघन हुआ था।

(13) नागराज शिवराव कर्जागी के मामले (उपरोक्त) में सतर्कता आयोग की सिफारिश के आधार पर सजा दी गई थी। हालांकि, वर्तमान मामले में, सजा के मामले में किसी भी प्राधिकरण की ओर से कोई सिफारिश नहीं की गई थी, जो उपरोक्त निर्णय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के आदेश का उल्लंघन कर सकती है।

(14) बी. डी. गोयल के मामले (ऊपर) में आदेश से याचिकाकर्ता को कोई मदद नहीं मिली। उक्त मामले में, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह पाया गया है कि सक्षम प्राधिकारी लिखित रूप में कारणों को दर्ज करने के लिए कर्तव्यबद्ध है और यह जांच अधिकारी के निष्कर्ष को उसके इस्तीफे पर बदल नहीं सकता है। वर्तमान मामले में, असहमति के कारणों का पूरा विवरण देते हुए असहमति नोट काफी विस्तृत है।

(15) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा यह तर्क दिया गया कि दी गई सजा किए गए अपराध के अनुरूप होनी चाहिए, फिर से विवाद में नहीं है। सजा की मात्रा में न्यायालय का अधिकार क्षेत्र बहुत सीमित है। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा निर्दिष्ट मुन्ना लाई जैन के मामले (उपर्युक्त) में दिए गए निर्णय में यह पाया गया है कि न्यायालय को प्रशासक के निर्णय में तब तक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए जब तक कि यह अतार्किक न हो या प्रक्रियात्मक अनुचितता से ग्रस्त न हो या न्यायालय की अंतरात्मा के लिए चौंकाने वाला न हो। न्यायालय ने निम्नलिखित प्रभाव से अभिनिर्धारित कियाः-

"इन सभी निर्णयों में सामान्य सूत्र यह है कि न्यायालय को प्रशासक के निर्णय में तब तक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए जब तक कि यह अतार्किक न हो या प्रक्रियात्मक अनुचितता से ग्रस्त न हो या

न्यायालय की अंतरात्मा के लिए चौंकाने वाला न हो, इस अर्थ में कि यह तर्क या नैतिक मानकों की अवज्ञा में था। वेड्सबरी के मामले (उपर्युक्त) में जो कहा गया है, उसे ध्यान में रखते हुए न्यायालय प्रशासक द्वारा किए गए चयन की शुद्धता पर विचार नहीं करेगा और न्यायालय को अपने निर्णय को प्रशासक के निर्णय से प्रतिस्थापित नहीं करना चाहिए। न्यायिक समीक्षा का दायरा निर्णय लेने की प्रक्रिया में कमी तक सीमित है न कि निर्णय तक।

15. अलग शब्दों में कहें तो अनुशासनिक प्राधिकरण या अपीलीय प्राधिकरण द्वारा लगाई गई सजा अदालत/न्यायाधिकरण की अंतरात्मा को झकझोर देती है, इसमें हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं है। मुकदमों को छोटा करने के लिए, यह असाधारण और दुर्लभ मामलों में, इसके समर्थन में ठोस कारणों को दर्ज करके उचित सजा दे सकता है। सामान्य तौर पर यदि लगाया गया दंड आश्चर्यजनक रूप से असमान है तो अनुशासनिक प्राधिकरण या अपीलीय प्राधिकरण को लगाए गए दंड पर पुनर्विचार करने का निर्देश देना उचित होगा।

16. वर्तमान मामले में उच्च न्यायालय ने कोई कारण दर्ज नहीं किया कि कैसे और क्यों उसने सजा को आश्चर्यजनक रूप से असमान पाया। यहां तक कि इस पहलू पर कोई चर्चा भी नहीं होती है। ”

(16) वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी के साथ नियुक्ति की मांग करते समय एक नकली प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है और अपने स्नातक होने का गलत प्रतिनिधित्व किया है। एक व्यक्ति, जिसने एक नकली दस्तावेज के आधार पर लोक सेवा में प्रवेश किया है, किसी भी तरह की नरमी का हकदार नहीं है। उन्होंने जाली प्रमाण पत्र के आधार पर सार्वजनिक पद हड़प लिया है। उन्होंने जाली दस्तावेजों के आधार पर सार्वजनिक धन का दुरुपयोग किया है।

(17) उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हम यह नहीं पाते हैं कि याचिकाकर्ता को दी गई सजा, किसी भी तरह से उसके कदाचार के लिए असमान है। नतीजतन, हम वर्तमान रिट याचिका में कोई योग्यता नहीं पाते हैं। इसलिए, इसे खारिज कर दिया जाता है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

कार्तिक शर्मा

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

नूँह, हरियाणा